न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रशासन गावों के संग अभियान–2023 कोर्ट केम्पः– ग्राम पंचायत बान्दरा

राजस्व आवेदन संख्या :– 109/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 केशरसिंह 2 जैसाराम पिसरान अमराराम 3 मोडाराम पुत्र अमराराम के कायम मुकाम 3/1 चन्द्रप्रकाश 3/2 ताराचन्द्र पिसरान मोडाराम 3/3 मूलीदेवी पत्नी मोडाराम जाति जाट निवासी जाटावास कवास ढूंढा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 देराजराम 2 ठाकराराम पिसरान भोपाराम 3 मोहनलाल 4 किशोर कुमार पिसरान मेहराराम जाति जाट निवासी अलाणियों की ढाणी, बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 5 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

आदेश

दिनांक 09/05/23

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 881/585 रकबा 15.5399 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के सेढा सेढ अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेत खसरा संख्या 882/585 रकबा 7.4543 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जो अप्रार्थी संख्या 01 से 04 उपरोक्त मूल रूप से खसरा संख्या 585 के भाग है, जिसका बंटवाडा करवाने से विभाजन हुआ तथा विभाजन करवाने पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि की तरमीम करवाई जो मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नही की गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये अनुसार है तथा राजस्व अधिकारियों को तरमीम मौके पर दर्शाय अनुसार परिशिष्ठ 'अ' अनुसार करनी थी परन्तु मौके की बिना जांच किये कर दी गई जो तरमीम गलत है। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा संख्या 881/585 की नेखमबन्दी करवाई तक ज्ञात हुआ की लट्ठा ट्रेस में तरमीम गलत की गई है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 881/585 व 882/585 की सीमा पर नेखम चिन्ह पत्थर संख्या 06 व 01 सहमति से स्थापित किये गये परन्तु भविष्य में विवाद नही हो इसलिए वर्तमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ठ 'अ' अनुसार तरमीम शुद्ध करवाना चाहते है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 881/585 रकबा 15.5399 हैक्टेयर भूमि व अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 882/585 रकबा 7.4543 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा ट्रेस में की गई अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौके के अनुसार संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार शुद्ध तरमीम करने के आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कोर्ट केम्प बान्दरा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को आवाजे लगाई गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के वकील उपस्थित हुए। उभय पक्षों को सुना गया। वकील अप्रार्थीगण इकबाली जवाब मय काउन्क्टर वेलम प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मूल खेत खसरा संख्या 585 के भाग है खसरा संख्या 881/585 व 882/585 वक्त हस्तगत आवेदन पेश करते समय उभय पक्षों की सहमति से गै.मु. रास्ता निकाला गया जिसके चलते नये खसरा संख्या 1256/881 (पुराना खसरा संख्या 881/585) तथा अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1258/882 (पुराना खसरा संख्या 882/585) है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा खसरा

संख्या 881/585 व 882/585 की सीमा पर नेखम चिन्ह पत्थर संख्या 06 व 01 सहमति से स्थापित किये गये। वर्तमान में मौके पर 20 फीट चौड़ा रास्ता निकाला गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण के खसरा संख्या 881/585 वर्तमान खसरास संख्या 1256/881 में से रास्ते हेतु खसरा संख्या 1255/881 रकबा 0.1456 हैक्टेयर तथा अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1257/881 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु दर्ज की गई है। लिहाजा अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 882/585 वर्तमान खसरा संख्या 1258/881 रकबा 7.4300 हैक्टेयर व प्रार्थीगण के खसरा संख्या 881/585 वर्तमान खसरा संख्या 1256/881 रकबा 15.3943 हैक्टेयर की सेढे की सीमा का लठ्ठा ट्रेस में तरमीम नेखमबन्दी मौका फर्द अनुसार नेखम संख्या 06 व 01 के बीच की सीमा को दुरूस्त की जावे तथा उभय पक्षों के खेतों में से निकाला गया गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 1255/881 रकबा 0.1456 हैक्टेयर चौड़ाई 20 फीट व खसरा संख्या 1256/882 रकबा 0.0243 हैक्टेयर चौड़ाई 20 फीट रास्ता रखते हुए उक्त खसरान का लठ्ठा ट्रेस नक्शा में उभय पक्ष की सहमति अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करावें।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का गंभरता पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.06.2020 व 26.06.2020 एवं तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत राजस्व आवेदन संख्या 282/2022 अनवान लाधूराम बनाम केशरसिंह अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनयम के तहत प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 13.01.2023 तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.01.2023 का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त उभय पक्षों द्वारा मौके पर रास्ते हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो बाद जांच स्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण का आवेदन एवं अप्रार्थीगण के ईकबाली जवाब के मद्देनजर मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 881/585 रकबा 15.5399 हैक्टेयर भूमि व अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 882/585 रकबा 7.4543 हैक्टेयर भूमि की लठ्ठा ट्रेस में की गई अशुद्ध तरमीम को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 881/585 रकबा 15.5399 हैक्टेयर भूमि व अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 882/585 रकबा 7.4543 हैक्टेयर भूमि की लठ्ठा ट्रेस में की गई अशुद्ध तरमीम को निरस्त की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 882/585 वर्तमान खसरा संख्या 1258/881 रकबा 7.4300 हैक्टेयर व मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 881/585 वर्तमान खसरा संख्या 1256/881 रकबा 15.3943 हैक्टेयर की सेढे की सीमा का लठ्ठा ट्रेस में तरमीम नेखमबन्दी मौका फर्द अनुसार नेखम संख्या 06 व 01 के बीच की सीमा को दुरूस्त की जावे तथा उभय पक्षों के खेतों में से निकाला गया गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 1255/881 रकबा 0.1456 हैक्टेयर चौड़ाई 20 फीट व खसरा संख्या 1256/882 रकबा 0.0243 हैक्टेयर चौड़ाई 20 फीट रास्ता रखते हुए उक्त खसरान का लठ्ठा ट्रेस नक्शा में उभय पक्ष की सहमति अनुसार तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण जांच कर मौके के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) करावें तथा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
(SDO), बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी बाडमेर

आदेश आज दिनांक 09/05/23 को मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी बाडमेर